तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1395/2003/चित्तौडगढ सत्यनारायण बनाम सत्यनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **उपस्थित–** श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, प्रार्थी। अप्रार्थीगण अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही। **निर्णय** **दिनांकः– 30–09–2019** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया है। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड व आक्षेपित आदेश का अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत विवादित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रार्थी व अन्य प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। जिसे न्यायालय ने प्रकरण संख्या 333/1990 संस्थित किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13–05–1998 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादी की शहादत में दिनांक 04–12–1995 से चलने के कारण शहादत पेश नहीं किए जाने से शहादत प्रतिवादी बंद कर दी गई। आदेशिका दिनांक 12–05–1999 के अनुसार वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1395/2003/चित्तौडगढ सत्यनारायण बनाम सत्यनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया। कालान्तर में उक्त वाद को आदेशिका दिनांक 05-08-2002 द्वारा पुनः रजिस्टर करते हुए प्रकरण संख्या 193/2002 संस्थित किया गया। आदेशिका दिनांक 10-2-2003 पारित करते हुए न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि पत्रावली से जाहिर होता है कि प्रतिवादी को दिनांक 13-05-1998 को प्रतिवादी की शहादत काफी समय से पेश नहीं होने से बंद की जा चुकी है। चूँकि पूर्व में भी शहादत प्रतिवादी बंद हो चुकी है। इसलिए पुनः अवसर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा अनेक अवसर प्रदान करने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। निगरानी में अभिवचित वचनों के आधार पर कि पहले उनके अधिवक्ता का दुर्घटनाग्रस्त होने से अस्वस्थ रहने तथा बाद में उनका देहान्त हो जाने के कारण साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी। अतः अधिवक्ता की गलती का दण्ड पक्षकार पर नहीं डाला जा सकता है। **आर.आर.टी. 2008(2) पृष्ठ 899** Code of Civil Proceedure, 1908 - Order 18 Rule 1,2,3,17 & Sec. 151 - Plaintiff's evidence closed - Petitioner filed an application to allow to adduce evidence but rejected - Bonafide mistake of the counsel - Suit is for recovery or rupees 15,31,000 - Held, Granting one more opportunity to produce the evidence is justified . **आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 379** Code of Civil Proceedure, 1908 - Order 18 Rule 2(3) and 3- Plaintiff' closed the evidence with right to produce evidence in rebuttal - Trial Court deprived the plaintif from the rebuttal evidence - Held, Order is not justified and set aside .	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1395/2003/चित्तौडगढ सत्यनारायण बनाम सत्यनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों की रोशनी में तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में हम न्यायहित में कॉस्ट अधिरोपित करते हुए प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने का केवल मात्र एक अन्तिम अवसर दिया जाना उचित समझते है। जिससे पक्षकारान के मध्य भविष्य में वाद बाहुल्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी को कॉस्ट अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाकर आक्षेपित आदेश को खारिज किया जाना समीचीन है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी को न्यायहित में रूपये 2,000/– (रू0 दो हजार मात्र) कॉस्ट अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–02–2003 को निरस्त किया किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन वाद की कार्यवाही में प्रार्थी पर अधिरोपित की गयी उक्त कॉस्ट की राशि उसके द्वारा सदस्य/अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन चित्तौडगढ को जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थी को केवल मात्र साक्ष्य का एक अवसर देकर विचाराधीन वाद में आगामी कार्यवाही किया जाना सम्पादित करें। न्यायालय उक्त कार्यवाही 15 दिवस की अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	